

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT  
4<sup>TH</sup> LEVEL, 'A' WING, DELHI SACHIVALAYA, I.P.ESTATE, NEW DELHI-02

NO. 12(20)/Fin(Rev-1)/2011-12

Dated the \_\_\_\_\_ 2012

NOTIFICATION

No. 12(20)/Fin(Rev-1)/2011-12 :- In exercise of the powers conferred by section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby, makes the rules further to amend the Delhi Excise Rules, 2010, as following namely:

**1.Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Delhi Excise (Amendment ) Rules, 2012.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

**2.Amendment of rule 154:** – In rule 154, in sub rule (2), in the Table under heading 'Licence Fees for other category of licences', against Sr. No. 12, under column 5, for the figures "600000", the figures "800000" shall be substituted.

By order and in the name of the  
Lt. Governor of the National  
Capital Territory of Delhi,

(S. K. KAMRA)  
Deputy Secretary-III (Finance)

NO. 12(20)/Fin(Rev-1)/2011-12 / D.S.II/406

Dated: 16/5/2012

**Copy to:**

1. The Pr. Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi with one spare copy for its publication in the Delhi Gazette Part IV in today's date.
2. The Commissioner of Excise, L&N Block, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Finance Minister, Delhi Government, Delhi Sectt. Delhi.
4. The Joint Secretary (L&J), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt. Delhi.
5. PA to Hon'ble Leader of Opposition, Delhi Legislative Assembly, Old Sectt. Delhi.
6. Guard File
7. Website.

①  
16/5/12  
Ac (Policy/IMP)

16/5/12  
BS

(S. K. KAMRA)  
Deputy Secretary-III (Finance)

दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
वित्त (राजस्व-1) विभाग  
चौथा तल, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं0फा0 12(20)/वित्त (राजस्व-1)/2011-12/

दिनांक:

अधिसूचना

सं0फा0 12(20)/वित्त (राजस्व-1)/2011-12/ - दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में पुनः संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन), नियमावली, 2012 कहा जाये।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. नियम 154 का संशोधन :- नियम 154 के उपनियम (2) में, 'लाइसेंसों की अन्य श्रेणियों के लिये लाइसेंस शुल्क' शीर्षक के अन्तर्गत तालिका में कॉलम 5 के अन्तर्गत, क्रम संख्या 12 के समक्ष "600000" अंकों के स्थान पर "800000" अंकों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस0 के0 कामरा)

उप-सचिव-III (वित्त)

दिनांक: 16/5/2012

सं0फा0 12(20)/वित्त (राजस्व-1)/2011-12/एस0 के0 कामरा/406  
प्रतिलिपि निम्न को :-

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
2. आयुक्त आबकारी, एल एंड एन-ब्लाक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. नि.स. माननीय नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
6. गार्ड फाईल।
7. वेबसाइट।

(एस0 के0 कामरा)

उप-सचिव-III (वित्त)